न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **354/12 (वाद)**

GCMS No. : 2012/00313

उनवान

1. मोहनलाल पिता श्री जीतमल जी दायमा, जाति खटीक, आयु वयस्क, निवासी गांव मेडता, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

...........वादी

बनाम्

1. गायत्री देवी पुत्री मेवालाल खटीक, आयु वयस्क, निवासी खटीक मौहल्ला, घोसूण्डा, जिला चित्तोडगढ (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, उदयपुर (राज.)
3. कंकु देवी पत्नी मोहनलाल दायमा निवासी मेड़ता डबोक तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संख्या : **305/14 (वाद)**

GCMS No. : 2014/00449

उनवान

1. कंकु देवी पत्नी मोहनलाल दायमा निवासी मेड़ता डबोक तहसील मावली।

...........वादी

बनाम

1. मोहनलाल पिता श्री जीतमल जी दायमा, जाति खटीक, आयु वयस्क, निवासी गांव मेडता, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. गायत्री देवी पुत्री मेवालाल खटीक, आयु वयस्क, निवासी खटीक मौहल्ला, घोसूण्डा, जिला चित्तोडगढ (राज.)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता वादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 27.10.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के तीन जायन्दा पुत्र थे, जिसमें से दो पुत्रों श्री लक्ष्मीनारायण तथा श्री विजय कुमार का कालान्तर में देहान्त हो गया तथा वर्तमान में वादी का एक पुत्र भगवती प्रसाद जीवित है। राजस्व ग्राम खेमली, पटवार क्षेत्र खेमली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.) में खाता संख्या 145/170 की कृषि भूमि आराजी संख्या 1675 रकबा 0.12 हैं. आराजी संख्या 1682 रकबा 0.10, आराजी संख्या 1683 रकबा 0.05 हैं. तथा आराजी संख्या 1684 रकबा 1.05 हें. तथा आराजी संख्या 1685 रकबा 1.75 हैं. कुल किता 5 रकबा 3.07 हैं. स्थित है। उक्त भूमि वादी [illegible] मोहनलाल के नाम से दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:59 IST
Reason: SelfAttested

पंजीकृत विकय विलेखों के माध्यम से दिनाक 23.02.2011 एवं 07.03.2011 को क्रय की थी। वादी के पास अपनी जीवन भर की कमाई मे से कुछ राशि बचत के रूप में पड़ी हुई थी तो उसने अपने पुत्र विजय कुमार को यह राशि जरिये चैक दी तथा उसी के अनुरूप यह भूमि विजय कुमार के नाम से क्रय हुई, किन्तु इस भूमि का सम्पूर्ण प्रतिफल वादी ने अदा किया तथा यह भूमि विक्रय की तारीख से आज दिनांक तक वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही है तथा वादी ही इस कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहा है। यह भूमि वर्तमान में जिसमें से आराजी संख्या 1675 का 334/402 भाग विजय के नाम तथा आराजी संख्या 1682, 1683, 1684, 1685 कुल रकबा 2.15 वादी के पुत्र विजय कुमार के नाम दर्ज है।

2. यह कि कालान्तर में विजय कुमार का देहान्त हो गया तथा विजय कुमार का चूंकि इस भूमि में किसी प्रकार का हित एवं आधिपत्य क्रेता की हैसियत से नहीं था तथा वादी ने ही इस भूमि के प्रतिफल का भुगतान किया था इसलिये विजय कुमार ने अपने जीवनकाल में ही इस समस्त सम्पत्ति का हित वादी में निहित कर दिया था जिस कारण से वादी विजय कुमार के देहान्त के पश्चात् इस भूमि का एक मात्र स्वामी है तथा आधिपत्यधारी है एवं आवश्यकता के अनुरूप इस भूमि का उपयोग उपभोग करने हेतु स्वतंत्र हैं तथा अन्य किसी को इस सम्बन्ध मे कोई अधिकार नहीं है। उक्त भूमि वादी की है तथा उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति है। प्रतिवादी संख्या 1 इस भूमि को अपने आपको विजय कुमार का एक मात्र उत्तराधिकारी बताते हुए विक्रय अथवा हस्तान्तरित करने पर आमादा थी। विजय कुमार के जीवनकाल में ही प्रतिवादी ने कई बार इस भूमि को विक्रय करने हेतु षडंयत्र रचा किन्तु स्वर्गीय विजय कुमार ने इस भूमि को अपने पिता की सम्पत्ति बताते हुए किसी प्रकार का विक्रय संव्यवहार करने से इन्कार कर दिया जिससे प्रतिवादी खफा थी। विजय कुमार के निधन के दस दिन के पश्चात् ही प्रतिवादी वादी के घर से चली गयी तथा गर्भस्थ शिशुओं की हत्या कर दी तथा वादी के वंश का समूल नाश कर दिया तथा गर्भपात करवा दिया तथा कहने लगी कि मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। मैं विजय के नाते आई थी तथा विजय के जाने के बाद उसके वंश को मैं आगे नहीं बढाउंगी तथा अन्यत्र नाते जाउंगी तथा इसी अग्रेषण मे प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को मिथ्या विवादन के जरिये परेशान करना शुरू कर दिया। वादी इस भूमि पर कृषि कार्य करता रहा है इसी दौरान प्रतिवादी संख्या 1 तथा उसके अभिकर्ता वादी को इस भूमि से चले जाने एवं विक्रय कर देने की धमकी दी गई जब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के इस कृत्य पर आपत्ति उठाई तो प्रतिवादी संख्या 1 वादी को मिथ्या विवादन मे फसां देने एवं जेल की हवा खिलाने की धमकी अपने अभिकर्ताओं के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:59 IST
Reason: SelfAttested

माध्यम से देने लगी। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को बिना किसी अधिकार के अथवा बिना वादी की स्वीकृति व आज्ञा के इस भूमि को विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है।

3. यह कि वाद कारण दिंनाक 19.11.2012 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 के अभिकर्ता वादग्रस्त भूमि पर कृषि करते हुए वादी को रोक दिया तथा बेदखल करने की धमकी दी। जिससे वाद कारण निरन्तर उत्पन्न हो रहा है।

4. अंत में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री सादर फरमाई जावे की उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी की स्वअर्जित आय से क्रय की गई खातेदारी हक की घोषणा करायी जाकर वादी के नाम अंकित कराये जाने का आदेश प्रदान करावे। प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे कि वे वादी के हक की कृषि भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करे न किसी अन्य व्यक्ति, एजेन्ट व प्रतिनिधि आदि से करावे।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की विजय कुमार पिता मोहनलाल जी खटीक का स्वर्गवास दिनांक 21.07.2012 को हो चुका है तथा प्रतिवादीया स्व. श्री विजय कुमार की वैधानिक विवाहिता पत्नि है। उक्त भूमि को प्रतिवादीया के पति श्री विजय कुमार पिता मोहनलाल जी दायमा खटीक ने विक्रयपत्र दिनांक 23.02.2011 राशि 1,20,000/– रू. तथा विक्रयपत्र दिनांक 07.03.2011 राशि 2,00,000/– रू. में खातेदारान गेरीलाल पिता भमरिया चमार, धुला, पिता खेमा चमार, हरलाल पिता मोहनलाल खटीक एवं मोहन पिता डालू चमार, कैलाश पिता भग्गा, गुलाबी पत्नि स्व. भग्गा, भबुता, नारायण, लेरकी पिता मोड़ा, हमेरी पत्नि स्व. मोडा चमार निवासीयान खेमली से खरीद कर विधिवत रूप से पंजीयन कराया और क्रय राशि प्रतिवादी के पति श्री विजय कुमार ने अपनी स्वअर्जित आय से भुगतान की थी। रजिस्ट्री के पश्चात उक्त आराजीयात पर विजय कुमार का कब्जा हो, कब्जे काश्त चली आ रही थी एवं उपयोग उपभोग में थी लेकिन विजय कुमार का दिनांक 21.07.2012 को स्वर्गवास हो चुका है। तत्पश्चात उक्त आराजीयात पर वादीया का बहैसियत स्व. श्री विजय कुमार की पत्नि होने के नाते आधिपत्य होकर कब्जा हो उपयोग–उपभोग है तथा उक्त विवादित आराजीयात स्व. श्री विजय कुमार की खातेदारी में दर्ज है। वादी का वादग्रस्त आराजीयात पर कोई हकहकूक नहीं है इसलिए भी वाद खारिज किये जाने योग्य है। वादी का इस आराजीयात से कोई हक व स्वामित्व एवं आधिपत्य नहीं है तथा विक्रय की राशि भी प्रतिवादीया नम्बर 1 के पति विजय कुमार ने चुकायी थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:59 IST
Reason: SelfAttested

इसलिए वादी का यह कथन कि उसके द्वारा राशि का भुगतान किया गया है वादी का यह तथ्य निराधार होकर झूठा एवं बेबुनियाद होकर झूठा एवं मनगढन्त है। विजय कुमार ही एक मात्र स्वामित्व आधिपत्य का अधिकारी था तथा उसके स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादीया उक्त आराजीयात की स्वामीनी एवं मालिकाना हक से मालिक है। किन्तु वादी के मन में बदयान्ती आ जाने से षडयन्त्र रच कर उक्त आराजीयात को हड़पने के लिए बिना किसी आधार पर झूठा वाद न्यायालय आप में पेश किया है। बाकी तथ्य वादी के निराधार मनगढन्त एवं झूठे होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी नम्बर–1 उक्त विवादित आराजीयात की कानूनी तौर पर स्वामीनी व अधिकारी है तथा विजय कुमार के स्वर्गवास के पश्चात उक्त आराजीयात को न्यायिक प्रक्रिया से अपने नाम पर कराने की अधिकारी है। वादी का इस आराजीयात से कोई संबंध व सरोकार नही है तथा वादी किसी भी प्रकार से वर्तमान में इस आराजीयात का स्वामी नहीं है। अंत में निवेदन किया कि जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वादपत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

6. प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी ने वादग्रस्त भूमि क्रय करने हेतु एक भी रूपया खर्च नही किया गया ना ही भूमि के ईन्च मात्र पर ही वादी का कब्जा ही है वास्तविकता यह है कि उपरोक्त कृषि भूमिया प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपनी स्वअर्जित जमा पुंजी व अपने सोने चांदी के स्त्रीधन, जैवर रहन रख रूपयों की व्यवस्था करके अपने पुत्र श्री विजय कुमार के नाम दिनांक 23.02.2011 एवं दिनांक 07. 03.2011 को दो पृथक–पृथक पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय की गई क्योकि प्रतिवादी संख्या 3 का ज्यादा स्नेह एवं लगाव पुत्र विजय कुमार से था इसलिये उपरोक्त भूमि का पंजीयन विजय कुमार के नाम से करवाया गया तद्नुसार प्रतिवादी संख्या 3 पुत्र विजय सिंह के खातेदारी में उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 3 प्रारम्भ से ही आज तक वादग्रस्त भूमि का उपयोग उपभोग करती आ रही है। स्वर्गीय विजय कुमार ने वादग्रस्त भूमि का कोई हिस्सा अथवा हित वादी को सिपुर्द नही किया अपितु यह प्रतिवादी संख्या 3 के पुत्र श्री विजय कुमार लम्बे समय से शुगर की बिमारी से पिड़ित होकर उसका दिनांक 21. 07.2012 को आकस्मिक देहवसान हो गया है। मृतक के लाऔलाद फोत हो जाने से प्रतिवादी संख्या 3 के अलावा अन्य कोई कानूनी वारिस नहीं है तथा विधि अनुसार एकमात्र हक आधिपत्यधारी एवं उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 3 स्वयं है। वादी मृतक विजय के पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 गांव घोसुण्डा की निवासी होकर स्वयं को मृतक विजय की नातायत पत्नी बताकर वादग्रस्त भूमि हथियाने हेतु षड्यंत्र करते हुए निरन्तर प्रयासरत है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 कभी भी वादग्रस्त भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:59 IST
Reason: SelfAttested

नही आये न ही मृतक विजय की सेवा व देखभाल ही की। प्रतिवादी संख्या 1 अपने माता–पिता के साथ घोसुण्डा में निवास करती है। प्रतिवादी संख्या 1 व वादी आपस में दुरूभी सन्धी करके वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 3 से हथियाने के इरादे से भूमि पर अपना–अपना हक जताते हुए प्रतिवादी संख्या 3 को भूमि से बेदखल कर जबरन भूमि पर कब्जा करने एवं भूमि को खुर्द–बुर्द करने की धमकिया देना प्रारम्भ किया जिसका वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक अधिकार प्राप्त नही है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 भूमि को जबरन हथियाने हेतु निरंतर नये–नये षड़यंत्र रचने पर आमादा है तथा किसी भी हाल में प्रतिवादी संख्या 3 को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने हेतु प्रयासरत है।

7. निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। वादग्रस्त आराजीयात की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा दिये आर्थिक सहयोग से प्रतिवादी संख्या 3 के पुत्र विजय कुमार के नाम क्रय की गई थी तथा विधि अनुसार भी प्रतिवादी संख्या 3 के पुत्र विजय कुमार देहावसान के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 3 के एकमात्र स्वामित्व एवं आधिपत्य में मौजुद है तथा हिन्दु विधि के अनुरूप वादग्रस्त भूमि की एकमात्र स्वामिनी प्रतिवादी संख्या 3 है जिसकी घोषणा कराने का प्रतिवादी संख्या 3 को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हित निहित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 जब अपने वादग्रस्त खेत पर काम कर रही थी तब दिनांक 11／12／2014 को वादी वादग्रस्त भूमि पर आया तथा भूमि से बाहर जाने की धमकी दी तब प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांक 12／12／2014 को वादग्रस्त भूमि की खाता नकल लेकर नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवाने हेतु पटवार मण्डल खेमली, तह. मावली में गई तो पटवारी साहब से खाता लेने पर मालुम हुआ कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपस में साठ गाठ करके प्रतिवादी संख्या 3 के परोक्ष में एक वाद पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 के परोक्ष में वादग्रस्त भूमि हड़पने हेतु प्रयासरत है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 ने वादी से उपरोक्त तथाकथित वाद की जानकारी चाही तो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने एवं भूमि हथिया लेने की धमकी दी जिसके विरूद्ध आप न्यायालय के समक्ष पृथक से वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि लम्बित है। अंत में निवेदन किया की प्रस्तुत जवाब दावा स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादी खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:59 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पृथक से वाद प्रस्तुत कर जवाब दावे के कथनो को दौहराते हुए निवेदन किया की वादिया के पुत्र विजय सिंह की लाऔलाद मृत्यु हो जाने के

उपरान्त वादग्रस्त भूमि वादिया के स्वामित्व एवं आधिपत्य में होकर वादिया एकमात्र स्वामिनी है। वादग्रस्त भूमि वादिया के भरण पोषण एवं आय का एकमात्र जरिया है तथा काननून भी वादिया मृतक विजय कुमार की समस्त चल अचल सम्पत्ति को प्राप्त करने हेतु एकमात्र कानूनी वारिस है। हाल ही में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आपस में दुरूभी सन्धी करके वादग्रस्त भूमि को वादिया से हथियाने के इरादे से भूमि पर अपना–अपना हक जताते हुए वादिया को भूमि से बेदखल कर जबरन भूमि पर कब्जा करने एवं भूमि को खुर्द–बुर्द करने की धमकिया देना प्रारम्भ किया जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादीगण भूमि को जबरन हथियाने हेतु निरंतर नये–नये षड्यंत्र रचने पर आमादा है तथा किसी भी हाल में वादिया को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने हेतु प्रयासरत है। जबकि वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। वादिया के द्वारा दिये आर्थिक सहयोग से वादिया के पुत्र विजय कुमार के नाम क्रय की गई थी तथा विधि अनुसार भी वादिया के पुत्र विजय कुमार देहावसान के पश्चात् वादिया के एकमात्र स्वामित्व एवं आधिपत्य में मौजुद है तथा हिन्दु विधि के अनुरूप वादग्रस्त भूमि की एकमात्र स्वामिनी वादिया है जिसकी घोषणा कराने का वादिया को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हित निहित नही है। प्रतिवादीगण आये दिन वादग्रस्त भूमि को वादिया से छीनकर आपस में मिलकर कब्जा करना चाहते है व भूमि से वादिया को बेदखल करने की धमकिया देते है तथा आये दिन भूमि दलालों के माध्यम से भूमि को खुर्द–बुर्द करने को आमादा है। जबकि प्रतिवादीगण को उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में न तो प्रवेश करने का अधिकार है न ही वादिया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का अधिकार ही प्राप्त है जिससे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अन्यथा वादिया को प्रतिवादीगण भूमि से बेदखल करके वादिया की भूमि खुर्द–बुर्द करने में सफल हो जावेगें तथा वादिया का स्वयं का भरण पोषण करना दुर्भर हो जाएगा। वादिया जब अपने वादग्रस्त खेत पर काम कर रही थी तब दिनांक 11/12/2014 को प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि पर आया तथा भूमि से बाहर जाने की धमकी दी।

9. वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र स्वीकार फरमा वादिया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न लिखित आशय की डिक्री पारित फरमाई जावें कि उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजी संख्या 1682 से लगायत 1685 कुल किता 4 कुल रकबा 2.15 बीघा भूमि वादिया के हक आधिपत्य की होकर वादिया के खातेदारी में स्थित है एवं कानूनन भी वादिया मृतक खातेदार स्वर्गीय विजय कुमार की एकमात्र वारिस हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:59 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि घोषित फरमा वादिया के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाये जाने का आदेश फरमावे । वादिया के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराई जावें कि प्रतिवादीगण वादिया के हक व आधिपत्य की वादग्रस्त भूमि में प्रवेश नहीं करे, न ही वादिया को भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचावे, न ही भूमि से बेदखल ही करे उक्त कार्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे न ही अपने रिश्तेदार नातेदार अथवा ऐजेंट से ही करावें।

10. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

11. प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

    1. आया वादग्रस्त भूमि को वादी द्वारा दी गई राशि से खातेदार विजय कुमार द्वारा क्रय की गई हैं, इसलिए खातेदार विजयकुमार की मृत्यु हो जाने से वादी भूमि को अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी हैं।

    ..... जिम्मे वादी

    2. आया प्रतिवादी सं. 1 खातेदार विजयकुमार की नातायत पत्नी है, इसलिए उक्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का कोई हक अधिकार नहीं हैं।

    ..... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

    3. आया वादग्रस्त भूमि को खातेदार विजयकुमार द्वारा प्र.स. 3 कंकुबाई से जेवर व जमापुंजी प्राप्त कर भूमि खरीदी है। तभी से मौके पर प्रतिवादी सं. 3 काबिज चली आ रही हैं। इसलिए विजयकुमार की मृत्यु के बाद भूमि को अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारी हैं।

    ..... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3

    4. आया वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्र.स. 1 का कोई कब्जा नहीं हैं। इसलिए वादी का वाद खारिज कर वादी व प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

    ..... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3

12. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री मोहनलाल पिता जीतमल दायमा द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिरह के पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी जिरह नही करने साक्ष्यप्रतिवादी प्रस्तुत नही करने से साक्ष्यवादी जिरह एवं साक्ष्यप्रतिवादी का अवसर बंद किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:59 IST
Reason: SelfAttested

13. हमने विद्वाद अधिवक्ता की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तनकीवार विश्लेषण इस प्रकार है कि :–

1. आया वादग्रस्त भूमि को वादी द्वारा दी गई राशि से खातेदार विजय कुमार द्वारा क्रय की गई हैं, इसलिए खातेदार विजयकुमार की मृत्यु हो जाने से वादी भूमि को अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी हैं। .... जिम्मे वादी

3. आया वादग्रस्त भूमि को खातेदार विजयकुमार द्वारा प्र.स. 3 कंकुबाई से जेवर व जमापुंजी प्राप्त कर भूमि खरीदी है। तभी से मौके पर प्रतिवादी सं. 3 काबिज चली आ रही हैं। इसलिए विजयकुपार के मृत्यु के बाद भूमि को अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारी हैं। .... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3

उक्त तनकी संख्या 1 को साबित कराने का भार वादी पर तथा तनकी संख्या 3 को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 3 पर था। उक्त दोनो तनकीयात परस्पर एक दूसरे से संबंधित होने से एक साथ विवेचन किया जाना उचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत ग्राम खेमली पटवार खेमली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2066–69 के खाता संख्या 145 पर सहमति विभाजन होकर आराजी नम्बर 1682, 1683, 1684, 1685 किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि खातेदार विजय कुमार पिता मोहनलाल खटीक के नाम दर्ज है। पत्रावली में संलग्न फोटोप्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.02.2011 एवं दिनांक 07.03.2011 से खातेदार विजय कुमार पिता मोहनलाल खटीक के नाम दर्ज होना प्रतीत होता है। प्रकरण में यह बिन्दु तो निर्विवादित है कि खातेदार विजय कुमार पिता मोहनलाल खटीक का देहान्त हो गया है। क्योंकि इस संबंध में विजय कुमार पिता मोहनलाल खटीक के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है एवं उभय पक्षकारान द्वारा इस बिन्दु को स्वीकार भी किया है। माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वादपत्र पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी फोटोप्रति अनुसार मृतक खातेदार विजय कुमार उर्फ कैलाश का विवाह कान्ता पुत्री बंशीलाल के साथ हुआ था, परन्तु फिर दोनो के वैचारिक मतभेद होने से आपसी सहमति से विवाह विच्छेद कर इकरारनामा निष्पादित किया, अर्थात इससे जाहीर होता है कि विजय कुमार की शादी हो चूकी थी, उसके विच्छेद के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से नाता विवाह किया गया है। पत्रावली में संलग्न सांवलियाजी राजकीय जिला चिकित्सालय चितौड़गढ के अन्तरंग रोगी प्रपत्र की फोटोप्रति अनुसार सन 2019 में प्रतिवादी संख्या 1 के बच्चा हुआ है। अर्थात जब खातेदार विजय का निधन सन् 2012 में हो गया तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:59 IST
Reason: SelfAttested

ऐसी स्थिति में यह बच्चा खातेदार विजय का नही हो सकता है। साथ ही प्रस्तुति केस शीट एवं चिकित्सालय के दस्तावेज के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के पति का नाम महेन्द्र अंकित करवाया गया है। इससे स्पष्ट जाहीर होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अन्यत्र जगह विवाह कर लिया है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिस उसके पुत्र, पुत्री एवं पत्नी होते है। इस प्रकरण में मृतक खातेदार पुत्र व पुत्री हुए नही है तथा मृतक खातेदार द्वारा दो विवाह किए गए जिसमें प्रथम पत्नी द्वारा संबंध विच्छेद कर लिया गया एवं द्वितीय पत्नी जिससे नाता विवाह किया उसके द्वारा भी निधन के पश्चात अन्यत्र जगह विवाह कर लिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिस नही है। मृतक खातेदार के द्वितीय श्रेणी के वारिस उसके पिता एवं माता है। जो प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 है। इसलिए उक्त भूमि को द्वितीय श्रेणी के वारिसान के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त दोनो तनकी वादी तथा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. आया प्रतिवादी सं. 1 खातेदार विजयकुमार की नातायत पत्नी है, इसलिए उक्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का कोई हक अधिकार नहीं हैं।

.....जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर रहा। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त तनकी को साबित कराने का कोई प्रयास नही किया तथा बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नही होने से प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. आया वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्र.स. 1 का कोई कब्जा नहीं हैं। इसलिए वादी का वाद खारिज कर वादी व प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

..... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 3 पर था। उक्त तनकी के संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि तनकी संख्या 1, 3 के विवेचन अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में निर्णित होने से वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 का हक हिस्सा निहित हो चुका है। ऐसे में सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि में हक हिस्सा साबित नही होने से प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:59 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में आंशिक निर्णित की जाती है।

उपर्युक्त तनकीवार विश्लेषण के आधार पर तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में एवं तनकी संख्या 3, 4 प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में आंशिक निर्णित होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाये जाते है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किये जाकर डिक्री किये जाते है तथा आदेश दिए जाते है कि ग्राम खेमली पटवार खेमली तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबंदी संवत 2066–69 के खाता संख्या 145 पर सहमति विभाजन होकर आराजी नम्बर 1682, 1683, 1684, 1685 किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि खातेदार विजय कुमार पिता मोहनलाल खटीक के नाम दर्ज है के बजाय वादी मोहनलाल एवं प्रतिवादी संख्या 3 कंकु देवी को 1/2 — 1/2 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें।

पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। प्रकरण संख्या 354/12 वाद उनवान मोहनलाल बनाम गायत्री एवं प्रकरण संख्या 305/14 वाद उनवान कंकु देवी बनाम मोहनलाल में उक्त निर्णय एवं डिक्री की प्रति संलग्न की जावे। दोनो पत्रावलियां फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:59 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : **354/12 (वाद)**
GCMS No. : 2012/00313
उनवान

1. मोहनलाल पिता श्री जीतमल जी दायमा, जाति खटीक, आयु वयस्क, निवासी गांव मेडता, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) .....वादी

बनाम्

1. गायत्री देवी पुत्री मेवालाल खटीक, आयु वयस्क, निवासी खटीक मौहल्ला, घोसूण्डा, जिला चित्तोडगढ (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, उदयपुर (राज.)
3. कंकु देवी पत्नी मोहनलाल दायमा निवासी मेड़ता डबोक तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संख्या : **305/14 (वाद)**
GCMS No. : 2014/00449
उनवान

1. कंकु देवी पत्नी मोहनलाल दायमा निवासी मेड़ता डबोक तहसील मावली। .....वादी

बनाम

1. मोहनलाल पिता श्री जीतमल जी दायमा, जाति खटीक, आयु वयस्क, निवासी गांव मेडता, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. गायत्री देवी पुत्री मेवालाल खटीक, आयु वयस्क, निवासी खटीक मौहल्ला, घोसूण्डा, जिला चित्तोडगढ (राज.)

..... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किये जाकर डिक्री किये जाते है तथा आदेश दिए जाते है कि ग्राम खेमली पटवार खेमली तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबंदी संवत 2066–69 के खाता संख्या 145 पर सहमति विभाजन होकर आराजी नम्बर 1682, 1683, 1684, 1685 किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि खातेदार विजय कुमार पिता मोहनलाल खटीक के नाम दर्ज है के बजाय वादी मोहनलाल एवं प्रतिवादी संख्या 3 कंकु देवी को 1/2 – 1/2 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27.10.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:59 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली